खास खबरें

हनुमानगंज में चाकूबाजी, दो युवक घायल

नप्र, भोपालः राजधानी के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के काजी कैंप में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोपियों ने चाकू से हमला कर दो युवकों को घायल कर दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

अशोका गार्डन में मकान का ताला तोड़ 65 हजार चोरी

अशोका गार्डन के औद्योगिक क्षेत्र में अज्ञात चोर सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 65 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। घटना की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

कॉपर वायर चोरी, 50 हजार का नुकसान

टीटी नगर के तुलसी नगर क्षेत्र में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर करीब 50 हजार रुपये कीमत के कॉपर वायर और सॉकेट चोरी कर लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

अशोका गार्डन से एक्टिवा चोरी

अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में पार्क के सामने खड़ी एक्टिवा बाइक अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। वाहन स्वामी की शिकायत पर पुलिस ने वाहन चोरी का मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

तीन थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे, केस दर्ज

हबीबगंज, अयोध्यानगर और चूनाभट्टी थाना क्षेत्रों में तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुईं। घायलों की शिकायत पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बिजली बिल के नाम पर 1.45 लाख की साइबर ठगी

कोलार निवासी एक व्यक्ति से बिजली बिल अपडेट कराने के बहाने साइबर ठगों ने ऑनलाइन 1.45 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी है।

वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर लाखों की ठगी

कोलार क्षेत्र की एक महिला को वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर साइबर ठगों ने करीब 19.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी का शिकार बना लिया।

पुरानी रंजिश में भाइयों पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः हनुमानगंज थाना पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते दो भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार विवेकानंद नगर निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद नासिर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 जून की रात वह अपने छोटे भाई अफजल के साथ पुतलीघर, टीला जमालपुरा की ओर जा रहा था। काजी कैंप स्थित खान टी स्टॉल के सामने आमिर बेग और उसका साथी असद उर्फ भूरा ने उनका रास्ता रोक लिया। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए पहले मारपीट की। विरोध करने पर भूरा ने अफजल को पकड़ लिया और आमिर ने चाकू से उसके पेट में वार कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे नासिर पर भी चाकू से हमला किया गया, जिससे उसके दाहिने हाथ की हथेली में चोट आई। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त संजय कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस उपायुक्त जोन-3 आयुष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शालिनी दीक्षित तथा सहायक पुलिस आयुक्त राकेश सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर काजी कैंप क्षेत्र से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात करना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान असद उर्फ भूरा (27), निवासी जनता नगर, निशातपुरा और आमिर बेग (25), निवासी अटल अयूब नगर, गौतम नगर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के एक दर्जन से अधिक मामले विभिन्न थानों में पहले से दर्ज हैं।

17 वर्षीय किशोरी लापता, पुलिस ने दर्ज किया मामला

कमलानगर के राहुल नगर से 17 वर्षीय किशोरी के बिना बताए घर से चले जाने की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं, जबकि पुलिस संभावित स्थानों और परिचितों से पूछताछ कर रही है।

इलाज के दौरान किशोरी की मौत, मर्ग कायम

कमलानगर क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ की छेड़खानी

पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के छोला इलाके में एक निजी स्कूल के फाउंडर सदस्य और शिक्षक वीरेंद्र त्रिपाठी ने अपनी ही 13 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़िता बालिका की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को शनिवार की घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे हुई। छोला इलाके स्थित निजी स्कूल में सातवीं कक्षा पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा नियमित रूप से स्कूल पहुंची थी। कक्षाएं समाप्त होने के बाद आरोपी वीरेंद्र त्रिपाठी ने बालिका को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और गलत इरादे से उसे छुआ (बैड टच)।

सहमी हुई मासूम छात्रा ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को पूरी घटना बता दी। बेटी के मुंह से यह भयावह बात सुनकर परिजन स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए रविवार को पीड़िता को साथ लेकर छोला थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपी वीरेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, छेड़खानी और अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में आरोपी पुलिस हिरासत में है और पूछताछ जारी है।

बच्ची सदमे में, काउंसलिंग जारी

इस घटना के बाद पीड़िता बालिका गहरे मानसिक सदमे में है। पुलिस की टीम द्वारा बच्ची की काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि वह इस आघात से उबर सके। परिजनों ने भी बच्ची की मानसिक स्थिति को सामान्य करने के लिए मदद मांगी है। इस घटना ने स्थानीय अभिभावकों में आक्रोश पैदा कर दिया है। कई अभिभावक स्कूल प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह देखा जा रहा है कि आरोपी की ऐसी कोई अन्य घटना तो नहीं हुई है।

पुलिस ने दी चेतावनी

पुलिस ने सभी स्कूल प्रबंधनों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई

टीटी नगर, गोविंदपुरा और बागसेवनिया थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले कई लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

संस्कृति से जुड़ने और सामाजिक सशक्तिकरण का दिया संदेश

भोपाल सिंधी समाज की 105वीं महाआरती संपन्न

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः भोपाल सिंधी समाज राजधानी के श्री झूलेलाल मंदिर में भगवान झूलेलाल जी की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। हर महीने के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाली इस निरंतर श्रृंखला की यह 105वीं महाआरती थी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति, संस्कारों और इष्ट देव से जोड़े रखना है।

महाआरती में विशेष आकर्षण समाज की मातृशक्ति और योग ट्रेनर किरण बत्रा, निशा उत्तवानी एवं भावना का सम्मान रेलवे के सदस्य नितेशलाल द्वारा किया गया। इसके साथ ही, मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय सिंधी मंच के संस्थापक अध्यक्ष रोशनलाल और भोपाल के प्रमुख समाजसेवी मुकेश हासानी का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान पूज्य सिंधी पंचायत संत नगर के उन समाजसेवियों का भी विशेष सम्मान किया गया, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इसमें संत हिरदाराम नगर से आए पूज्य सिंधी पंचायत चुनाव के उपाध्यक्ष प्रत्याशी युवा नेता कमलेश देवानी, सहसचिव रूप कुमार सोनी और उनकी बजरंग सेना समिति की टीम के राज बिजोरिया, बी.के. सेन व शमी गंगवानी शामिल रहे।

समाजसेविका डिंपल तलरेजा ने कहा कि 'कितने भी काम हों, महीने में एक बार अंतिम रविवार को होने वाली इस महाआरती में जरूर शामिल हों ताकि सामाजिक सशक्तिकरण हो और समाज की एक मजबूत पहचान बने।' इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स भोपाल के कोषाध्यक्ष प्रदीप सेवानी और राष्ट्रीय सिंधी मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सबधानी सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी और मातृशक्ति उपस्थित रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास, पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर

नप्र, भोपालः राजधानी की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया है तथा पीड़िता को चार लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश दिया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं नवीन श्रीवास्तव ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार, जून 2021 में निशातपुरा क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता भय के कारण किसी को कुछ नहीं बता सकी। बाद में परिजनों की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से मामला पुलिस तक पहुंचा और निशातपुरा थाने में भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3), 450 और 506(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी करार दिया।

निर्णय में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा और अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए चार लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत करने का आदेश दिया।

राजयोग मेडिटेशन से आत्म-सशक्तिकरण का संदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ब्रह्माकुमारीज़ के सिक्योरिटी सर्विसेज विंग (एसएसडब्ल्यू) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय जनजागरण अभियान 'स्व-सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण' के तहत रविवार को भोपाल के विभिन्न सुरक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानों में विशेष जागरूकता और राजयोग मेडिटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अभियान के अंतर्गत 107 आरएएफ, सीआरपीएफ बटालियन, ट्रैफिक पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भेल सीआईएसएफ, 3 ईएमई सेंटर, पूर्व सैनिकों, नशा मुक्ति केंद्र तथा सागर विद्या निकेतन में प्रेरणादायी सत्र हुए। प्रतिभागियों को आत्म-सशक्तिकरण, सकारात्मक चिंतन, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक जीवनशैली के महत्व से अवगत कराया गया।

वक्ताओं ने कहा कि जब व्यक्ति आत्मिक रूप से सशक्त बनता है, तभी परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त होते हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों और युवाओं के लिए मानसिक स्थिरता, आत्मबल तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास में राजयोग मेडिटेशन को प्रभावी माध्यम बताया। अभियान का उद्देश्य समाज में सकारात्मक जीवनशैली और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है।

विवेक स्वामी बने मप्र अमेच्योर कुराश एसोसिएशन के अध्यक्ष

नप्र, भोपालः मप्र अमेच्योर कुराश एसोसिएशन के निर्वाचन में भोपाल के विवेक स्वामी अध्यक्ष और इंदौर के राहुल व्यास महासचिव निर्वाचित हुए। निर्वाचन की देखरेख द इंडियन कुराश एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कपूर ने की।

उपाध्यक्ष पद पर डॉ. अमित पोरवाल, गोपाल पालीवाल, बिट्टू शर्मा और अमित अग्रवाल चुने गए, जबकि धर्मेंद्र रघुवंशी कोषाध्यक्ष बने।

इस अवसर पर रवि कपूर ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी मिलकर प्रदेश में कुराश खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं तथा राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने की परंपरा को बढ़ावा दें।

संतनगर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः नुक्कड़ वाली माता मंदिर प्रांगण में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने एक स्वर में संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ और आरती का आयोजन किया। हर मंगलवार और शनिवार को सामूहिक चालीसा पाठ होता है। चालीसा पाठ की शुरुआत पूर्व जिला पंचायत सदस्य विष्णु विश्वकर्मा द्वारा जगत जननी नुक्कड़ वाली मैया के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धालु प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नियम व श्रद्धा से पाठ करता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है।

कलयुग में हनुमान चालीसा का पाठ सभी संकटों को दूर करने वाला और परम फलदायी है। नवनियुक्त पत्रकार संघ के पदाधिकारियों, बजरंग सेवा समिति और पूज्य सिंधी पंचायत के सदस्यों का आत्मीय सम्मान किया गया।

बोलेरो ने स्कूटर सवार परिवार को मारी टक्कर महिला की मौत

बेटी के गंभीर रूप से घायल होने से परिजन गहरे सदमे में हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के नवीबाग इलाके में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से स्कूटर सवार एक परिवार हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 28 वर्षीय तबस्सुम की सोमवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके पति अफाक और सात वर्षीय बेटी तैयबा गंभीर रूप से घायल हैं।

दोनों का हमीदिया अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार हादसा रविवार रात करीब 10 बजे उस समय हुआ, जब परिवार मेहमानी से लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आई बोलेरो ने उनके स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां सोमवार सुबह तबस्सुम ने दम तोड़ दिया। पुलिस को घटनास्थल से बोलेरो का नंबर मिल गया है और चालक की पहचान भी कर ली गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी गई है।

इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। इकलौती बेटी के गंभीर रूप से घायल होने से परिजन गहरे सदमे में हैं।

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल

प्रापर्टी आई.डी.नं.–H5B6150012, आवेदन क्रमांक–12294 आवेदन, दिनांक 06.06.2026
क्रमांक 2071/राजस्व/भौंविप्रा/26
भोपाल, दिनांक 29.06.2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की GURU DEV RABINDRANATH TAGORE PARISAR योजना में स्थित प्रकोष्ठ क्रमांक–BM-12, सेक्टर–2–सी साकेत नगर, श्रीमती राधादेवी रिछारिया पत्नी स्व. श्री मंगली प्रसाद एवं श्री राहुल तिवारी आत्मज श्री प्रमोद कुमार तिवारी के संयुक्त नाम पर आवंटित है। संयुक्त आवं में से श्रीमती राधादेवी रिछारिया पत्नी स्व. श्री मंगली प्रसाद का स्वर्गवास दिनांक–19.11.2022 को हो जाने के कारण आवंटी द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक–17.07.2012 के आधार पर संयुक्त आवंटी श्री राहुल तिवारी आत्मज श्री प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत वसीयत आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त प्रकोष्ठ का नामांतरण अपने संयुक्त नाम पर चाहा गया है।

उक्त नामांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से **07 दिवस** के अंदर लिखित एवं साक्ष्ये/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

741

M.P. STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
26, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.)
Board/Nirman/P.Cell./CGP-II/Shed/26-27/246 Bhopal, Dated : 24.06.2026

NOTICE INVITING TENDER

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) for Construction of Shed (Including Electric Work) & Platform for Installation of Cleaning, Grading & Packaging Plant at Various APMCs as follows :

S. No.	STN No.	District	Name of APMCs	Probable Amount of Contract (Rs. in Lakh)
1	2026_MPSAM_517653	Bhopal	Bhopal	61.67
2	2026_MPSAM_517654	Vidisha	Vidisha	61.67
3	2026_MPSAM_517658	Raisen	Bareli	61.67
4	2026_MPSAM_517661	Raisen	Obedullaganj	55.45
5	2026_MPSAM_517663	Rajgarh	Biaora	55.45
6	2026_MPSAM_517666	Ujjain	Badnagar	61.67
7	2026_MPSAM_517667	Ujjain	Mahidpur	55.45
8	2026_MPSAM_517668	Dewas	Khategaon	61.67
9	2026_MPSAM_517670	Shajapur	Shujalpur	61.67
10	2026_MPSAM_517671	Shajapur	Shajapur	55.45
11	2026_MPSAM_517875	Ratlam	Ratlam	61.67
12	2026_MPSAM_517876	Indore	Indore	61.67
13	2026_MPSAM_517877	Indore	Sanwer	55.45
14	2026_MPSAM_517878	Indore	Mhow (Ambedkarnagar)	55.45
15	2026_MPSAM_517879	Tikamgarh	Tikamgarh	61.67
16	2026_MPSAM_517880	Chhatarpur	Chhatarpur	55.45
17	2026_MPSAM_517881	Rewa	Rewa	55.45
18	2026_MPSAM_517882	Jabalpur	Sihora	61.67
19	2026_MPSAM_517883	Jabalpur	Shahpura(Bhitoni)	55.45
20	2026_MPSAM_517884	Katni	Katni	61.67
21	2026_MPSAM_517885	Chhindwara	Chhindwara	61.67
22	2026_MPSAM_517886	Balaghat	Balaghat	55.45
23	2026_MPSAM_517887	Gwalior	Dabra	61.67
24	2026_MPSAM_517888	Datia	Datia	55.45
25	2026_MPSAM_517889	Morena	Morena	61.67
26	2026_MPSAM_517890	Sheopur	Sheopurkalan	55.45

The above-mentioned works Tender to be received online **up to 17:00 on 21.07.2026.** Technical bid documents with EMD & Financial Offer to be received online only as per Detailed NIT. The tender documents can be obtained online on the **http://mptenders.gov.in** as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website **www.mpmandiboard.gov.in**

Note :- Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only on above portal regarding any matter included in this NIT or otherwise. Other details of Construction/Development works and locations & key dates can also be seen on our website **www.mpmandiboard.gov.in**

M.P. Madhyam/126601/2026 **EXECUTIVE ENGINEER (PROJECT CELL)**

नाम परिवर्तन सूचना

मैं बिरजू उइके पुत्र श्री जोगी उइके मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र व उसके समस्त मार्कशीटों में नन्दना उइके पुत्री बिरजू उइके दर्ज है जो कि सही है मगर त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधारकार्ड में उसका नाम वंदना उइके लिखा गया है जो कि गलत है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम नन्दना उइके पुत्री श्री बिरजू उइके के नाम से जाना-पहचाना व लिखा जावे व समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा पढ़ा जावे।

नया नाम-नन्दना उइके
पुराना नाम -वंदना उइके

742

कार्यालय प.ह.नं.-38 मुख्यालय-सेवनिया ओंकारा रा.नि.मं- 04 बिलखिरिया तहसील-हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)

रा.प्र.क्र.–956/अ–12/2025–26
ग्राम का नाम–सेवनिया ओंकारा प.ह.नं.–38 तहसील हुजूर जिला–भोपाल

सूचना पत्र

प्रति, 1. रशपाल सिंह पुत्र सरदार चंद सिंह निवासी–40 रिलायबल कॉलोनी ईदगाह हिल्स भोपाल (म.प्र.) 2. शगुफता करैशी पत्नी अशफाक अहमद कुरैशी निवासी भोपाल (म.प्र.), 3. धर्मेन्द्र कुशवाह आत्मज हीरालाल कुशवाह निवासी–01 श्रीराम हाईटस के सामने अयोध्या बाईपास भोपाल (म.प्र.), 4. चंदसिंह झंडासिंह पिता सुच्चा सिंह निवासीगण–ईदगाह हिल्स भोपाल (म.प्र.), 5. भगवान दास पिता रामप्रसाद निवासी–भोपाल (म.प्र.), 6. श्रीमती संगीता सराफ पत्नी मनोज सराफ, मनोज सराफ पुत्र निर्मल कुमार सराफ निवासी–ई 2/161 अरेरा कॉलोनी निवासी भोपाल (म.प्र.), 7. पुखराज विश्वकर्मा पुत्र स्व. करण सिंह विश्वकर्मा निवासी–176 मंदिर मोहल्ला नरेला शंकरी भोपाल (म.प्र.), 8. अमिताभ बाजपेयी पुत्र आर एन बायपेयी निवासी–भोपाल (म.प्र.), 9. लाखन सिंह राजपूत पुत्र बंशीलाल राजपूत निवासी गली नंबर 02 नरेला शंकरी भोपाल (म.प्र.), 10. शुभम सिटी द्वारा पार्टनर श्री शैतान सिंह राजपूत पुत्र श्री प्रीतम सिंह राजपूत निवासी–26 नरेला शंकरी गणेश चौक भोपाल (म.प्र.), 11. विनोद सिंह राजपूत पुत्र रमेश बाबू राजपूत निवासी–नरेला शंकरी गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.), 12. समस्त मेढिया कृषक एवं ग्राम चौकीदार।

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक चंदा सिंह आत्मज सुच्चा सिंह व अन्य निवासी–39–40 रिलायवल कॉलोनी नियर सनराईज कॉलोनी ईदगाह हिल्स भोपाल (म.प्र) द्वारा ग्राम सेवनिया ओंकारा प.ह.नं.–38 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 339, 340, 341 रकबा क्रमशः 1.990 हे, 1.300 हे, 0.120 हे इस प्रकार कुल खसरा नंबर 03 कुल रकबा 3.410 हे. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 02.07.2026 को समय दोपहर 12:00 बजे से स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो, नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। आज दिनांक 25.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नोट–1. अपरिहार्य कार्य की वजय से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से दैनिक समाचार पत्र में सूचना पत्र का प्रकाशन कराया जा सकता है।

पटवारी, प.ह.नं.–38रा.नि.मं.–4,बिखिरिया तहसील–हुजूर जिला भोपाल

743

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, भवन नियंत्रक विधानसभा राजधानी संभाग क्र.–3 लोक निर्माण विभाग, ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल फोन–0755 2463894

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न लिखित कार्यों हेतु निविदाएं, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों (ठेकेदारों की श्रेणी कॉलम में उद्धृत अनुसार) से आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट http://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं.	सिस्टम टेन्डर नं.	एन.आई.टी. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमति लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	2026_सी.पी.ए._517640	29/व.ले.लि./26–27 दि. 25.6.2026	वार्षिक रखरखाव के अन्तर्गत विधायक विश्राम गृह नवीन पारिवारिक खण्ड क्र.–2 (एन–2) के दो नग सूट्स का सुदृढिकरण कार्य।	रू. 9,89,000.00	रू.19780.00	रू.2000.00	03 माह	लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत निविदाकार।
2	2026_सी.पी.ए._517641	30/व.ले.लि./26–27 दि. 25.6.2026	विधानसभा भवन में विभिन्न स्थानों टैरेस एवं एक्सपान्शन ज्वाईट एवं अन्य क्षेत्र का जल अवरोधक कार्य।	रू. 19,55,797.00	रू.39116.00	रू.2000.00	02 माह	–तदैव–
3	2026_सी.पी.ए._517644	31/व.ले.लि. / 25–26 व.ले.लि. दि. 25.6.2026	वार्षिक संधारण के अन्तर्गत विधायक विश्राम गृह खण्ड क्र.–3 सम्पवेल से नया पारिवारिक खण्ड–1 एवं 02 (एन–1, एन–2) तक पानी की सप्लाई हेतु पाईप लाईन एवं विभिन्न मरम्मत कार्य।	रू. 9,92,000.00	रू.19840.00	रू. 2000.00	03 माह	–तदैव–
4	2026_सी.पी.ए._517645	32/व.ले.लि. 25–26 व.ले.लि. दि. 25.6.2026	वार्षिक संधारण के अन्तर्गत विधानसभा परिसर में 04 नग हाईमास्ट प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	रू. 21,97,797.00	रू.9312.00	रू. 5000.00	12 माह	–तदैव–
5	2026_सी.पी.ए._517646	33/व.ले.लि. 26–27 दि. 25.6.2026	वार्षिक संधारण के अन्तर्गत विधानसभा भवन में माननीय मंत्री महोदय कक्षों एवं अधिकारी कक्षों में पुराने वातानुकूलन के स्थान वी.आर.वी./वी.आर. एफ पर वातानुकूलन व्यवस्था का कार्य।	रू. 29,74940,00	रू.50000.00	रू. 5000.00	3 माह	–तदैव–
6	2026_सी.पी.ए._517647	34/व.ले.लि. 26–27 दि. 25.6.2026	वार्षिक संधारण के अन्तर्गत विधानसभा भवन के एसेंबली हाउस में पुराने ए.सी. की क्षमता में वृद्धि किये जाने के लिए नवीन टॉवर वातानुकूलन स्थापित किये जाने का कार्य।	रू. 35,58,742,00	रू.50000.00	रू. 5000.00	3 माह	–तदैव–
7	2026_सी.पी.ए._517648	35/व.ले.लि. 26–27 दि. 25.6.2026	वार्षिक संधारण के अन्तर्गत विधानसभा भवन के एसेंबली हाउस के बगल में बने डायनिंग एरिया में पारंपरिक एयर कूलर्स के स्थान पर इंटीग्रेटेड एयर कूलिंग सिस्टम स्थापित किये जाने का कार्य।	रू. 18,16,143.00	रू.36323.00	रू. 2000.00	3 माह	–तदैव–

(1) उपरोक्त वेबसाईट से ऑनलाईन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (tender documents) वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। (2) निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि दिनांक 29.6.2026 से दि. 6.7.2026 सांय 5.30 बजे तक निर्धारित है। (3) विस्तृत एन.आई.टी एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट में देखी जा सकता है। (4) निविदा से संबंधित आवश्यक अभिलेख केवल ऑन लाईन ही प्राप्त किये जा सकेगें। यदि आवश्यक हो तो केवल निविदाकार स्वयं कार्यालय में जाकर स्थल का अवलोकन कर सकता है।

जी–15043/26

कार्यपालन यंत्री, भवन नियंत्रक विधानसभा राजधानी संभाग क्र.–3 लोक निर्माण विभाग ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल 0755–2463894